

अनुपातिक कराधान (PROPORTIONAL TAXATION)

अनुपातिक कर प्रणाली में सभी आयों पर एक दर से कर लगाया जाता है और इसका करदाता की आय से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। अन्य शब्दों में, अनुपातिक कर वह कर है जिसमें कर की दर समान रहती है। इस ढंग से देय कर राशि की गणना मूल कर की दर से गुणा करने पर प्राप्त की जाती है। आय में परिवर्तन के बावजूद गुणक समान रहते हैं। इसे तालिका 1 की सहायता से दर्शाया जा सकता है।

तालिका 1 में पाँच व्यक्तिगत करदाताओं की आय को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। कराधान की दर जिसे प्रत्येक को देना है, वह 10 प्रतिशत है। यदि व्यक्ति की कुल आय दोगुनी हो जाती है तो कर देने के पश्चात उसकी निवल आय भी दोगुनी हो जाती है। इसका अर्थ है कि कर लगाने के पश्चात व्यक्ति का सन्दर्भित अंश समान रहता है। चित्र 11.5 में अनुपातिक कर की दरों को प्रदर्शित किया गया है।


तालिका 1

कर आधार आय (Tax Base Income) (Rs.)	आय कर की दर (Rate of Income Tax) (%)	देय कर की राशि (Amount of Tax Payable) (Rs.)	कर के पश्चात् शुद्ध आय (Net Income after Tax) (Rs.)
5,000	10	500	4,500
10,000	10	1,000	9,000
15,000	10	1,500	13,500
20,000	10	2,000	18,000
25,000	10	2,500	22,500

चित्र 11.5 में PP रेखा क्षैतिज चलती है। कर दर OP कर आधार को प्रभावित किए बिना समान रहती है। संकेत

में अनुपातिक कर प्रणाली की विशेषताओं का इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है—

1. यह निश्चित है और करदाताओं की आय में परिवर्तन के साथ इसके अनुपात में परिवर्तन नहीं आता।
2. इसकी राशि निश्चित है और यह भिन्न प्रतिशतों में नहीं लगाया जाता।
3. कर व्यक्ति की सन्दर्भित स्थिति में कर देने के पश्चात् परिवर्तन नहीं करता।



चित्र 11.5

क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय के समान अनुपात में कर देना होता है इसलिए यह लोकप्रिय है और करदाताओं के न्यूनतम विरोध से राजस्व में वृद्धि की जा सकती है।

2. हानिकारक प्रभावों से मुक्त (Free from Harmful Effects) — अनुपातिक कर बचत तथा उत्पादकता में कमी के हानिकारक प्रभावों से मुक्त है जो कि प्रगतिशील करों की स्थिति में होते हैं। यदि सरकार समाजवादी विचारों को अपनाती है तो प्रगतिशील कर प्रणाली में अमीर वर्ग पर ज्यादा कर लगाए जाते हैं। परन्तु अनुपातिक कर प्रणाली में ऐसी स्थिति नहीं आती है।

3. गणना सरल (Easy to Calculate) — अनुपातिक कर आय के निश्चित अनुपात पर लगाए जाते हैं और दर अलग-अलग नहीं होती है। अतः इनका आकलन करना सरल होता है।

4. त्याग की समानता (Equality of Sacrifice) — कई बार इस आधार पर अनुपातिक करों को न्यायोचित कहा जाता है कि करों का वास्तविक भार मुद्रा भार के समान होता है। यदि यह सिद्धान्त स्वीकार किया जाए तो अनुपातिक करों को न्यायपूर्ण कहा जा सकता है।

5. निश्चित (Certain) — यह कर निश्चित होते हैं। कर दाता और राज्य दोनों को कर राशि का ज्ञान होता है।

अनुपातिक करों के अवगुण (Demerits of Proportional Taxation)

आलोचकों ने निम्नलिखित आधारों पर इनकी आलोचना की है—

1. असमानता (Not Equitable) — यह कर न्यायपूर्ण नहीं होता क्योंकि गरीब वर्गों पर इनका भार अधिक पड़ता है। यह कर इस आधार पर न्यायोचित कहे जाते हैं कि कर का मुद्रा भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है।

2. बेलोचदार (Less Elastic) — अनुपातिक कर प्रगतिशील करों की तुलना में कम लोचदार होते हैं। गरीब लोगों की निम्न कर देय क्षमता के कारण इन्हें निश्चित सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। अतः इस प्रकार के करों के माध्यम से राज्य अपनी आय में सरलता से वृद्धि नहीं कर सकता है।

3. सम्पत्ति वितरण पर विपरीत प्रभाव (Adverse effect on Distribution of Wealth) – राजस्व प्राप्ति ही कर का लक्ष्य नहीं होता। कर से केवल राजस्व प्राप्त किया जाता है यह धारणा गलत है। कराधान सामाजिक न्याय के लिए किया जाता है। इस क्षेत्र में अनुपातिक कर असफल हैं। यह कर सम्पत्ति वितरण की असमानताओं को कम करने में असफल रहे हैं।

4. भुगतान करने की क्षमता पर आधारित नहीं (Not According to Ability to Pay) – यह कर व्यक्ति की देय क्षमता पर आधारित नहीं है। निम्न आय समूहों पर इन करों का अधिक भार पड़ता है। आय में वृद्धि के साथ मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता में कमी आती है। अतः अमीर वर्ग पर इनका भार कम होता है।

प्रगतिशील कराधान (Progressive Taxation)

प्रगतिशील करों में व्यक्ति की आय में परिवर्तन के साथ कर की दर में परिवर्तन होता है। इसके अनुसार आय में वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि की जानी चाहिए, अर्थात् जितनी अधिक आय, कर की दर भी उतनी अधिक। पी. ई. टेलर के शब्दों में—“प्रगतिशील कराधान में कर योग्य आय में वृद्धि के साथ ही उच्च कर दर के रूप में आय की सीमान्त वृद्धि के लिए प्रभावी कर दर में वृद्धि होती है। इसका अर्थ है कर दायित्व में आय वृद्धि के अनुपात से अधिक वृद्धि। इसके विपरीत व्यक्तिगत आय में कमी होने पर करों की प्रभावी दर में आय में कमी के अनुपात, में अधिक कमी।” “As taxable income rises under progressive taxation, the effective rate of rises for marginal increment of income subjected to higher tax rates. This means that rise in tax liability is more than proportional to rise in income. Conversely, as personal income falls, the effective rate of taxation falls and decrease in tax is more than proportional to the decrease in income.”


इसे तालिका 2 और चित्र 11.6 की सहायता से दिखाया जा सकता है।

तालिका 2

कर योग्य आय समूह (Taxable income group) (Rs.)	व्यक्ति की कर योग्य आय (Taxable income of individual) (Rs.)	कर की दर (Rate of Tax) (%)	कर की राशि (Amount of tax) (Rs.)	कर भुगतान के बाद निवल आय (Net income after payment of tax) (Rs.)
0 – 5,000	5,000	10	500	4,500
5,001 – 10,000	10,000	15	1,500	8,500
10,001 – 15,000	15,000	20	3,000	12,000
15,001 – 20,000	20,000	25	5,000	15,000
20,001 – 25,000	25,000	30	7,500	17,500

तालिका 2 से स्पष्ट है कि आय में वृद्धि के साथ कर की दर में भी वृद्धि होगी। इसे विभिन्न स्लैबों में बाँटा जा सकता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति को आय में वृद्धि के पश्चात अलग कर दर का भुगतान करना होगा। उदाहरणतः 5000 से 25,000 रु. तक की आय के विभिन्न व्यक्तिगत समूहों को 500 रु., 1500 रु., 3000 रु., 5000 रु. और 7500 रु. का कर देना होगा।

चित्र 11.6 में कर आधार OX पर और कर दर OY पर है। AB रेखा प्रगतिशील करों का प्रदर्शन करती है। कर आधार में परिवर्तन के साथ स्लैब में लगातार परिवर्तन आ रहा है। प्रत्येक व्यक्तिगत आय पर अलग कर दर है। इसीलिए प्रगतिकारक करों को 'क्रमिक कर' कहा गया है।



चित्र 11.6

प्रगतिशील कराधान के पक्ष में तर्क (Points in Favour of Progressive Taxation)

निम्नलिखित आधारों पर प्रगतिशील करों का पक्ष लिया जाता है :

1. समानता के सिद्धान्त पर आधारित (Based on the Principle of Equitable) – प्रगतिशील करों को दरों में आय समूह में वृद्धि के साथ वृद्धि होती है। उच्च आय समूह की कर देने की क्षमता अधिक होती है क्योंकि आय में वृद्धि से मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता में कमी आती है। अतः प्रगतिशील कर प्रणाली समानता पर आधारित होने के साथ न्यायोचित है।

2. असमानता को कम करने का शक्तिशाली यन्त्र (Powerful Tool for Reducing Inequality) – प्रगतिशील कर प्रधान आय में असमानताओं को कम करने का शक्तिशाली यन्त्र है क्योंकि अमीर लोगों को ज्यादा कर देने पड़ते हैं। प्रो. होल्डर (Prof. Holder) ने भारत जैसे विकासशील देशों में आय और सम्पत्ति की असमानताओं को कम करना प्रगतिशील कर प्रधान की भूमिका माना है।

3. अधिक लोचदार (More Elastic) – प्रगतिशील कर प्रणाली अधिक लोचदार है। क्योंकि इन करों के द्वारा राज्य किसी भी विशेष समय (युद्ध, अकाल अथवा सूखा इत्यादि) में कर प्रधान की दरों में परिवर्तन कर सकता है और उच्च आय की दर में किया गया थोड़ा-सा परिवर्तन भी आय में महत्वपूर्ण वृद्धि का कारण बन सकता है।

4. मितव्ययतापूर्ण (Economical) – प्रगतिशील करों को इस आधार पर मितव्ययी कहा जा सकता है कि कर दर में वृद्धि करने से लागत में वृद्धि नहीं होती है।

5. सामाजिक न्याय पर आधारित (Based on Social Justice) – समाजवादी समाज की अवधारणा से भी इन करों का पक्ष लिया जाता है। यह समाज में अमीर और गरीब वर्ग के अन्तर को कम करते हैं। वास्तव में यह भुगतान की क्षमता के सिद्धान्त पर आधारित है। यह सामाजिक सुधार का यन्त्र है। यह आय के समान वितरण और सामाजिक रूप से वांछित व्ययों के लिए वित्त प्रदान करके सामाजिक प्रगति में वृद्धि करते हैं।

6. अधिक उत्पादक (More Productive) – यह कर अधिक उपयुक्त है क्योंकि आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के साथ स्वतः ही सरकारी राजस्व में वृद्धि होती है।

7. मुद्रास्फीति की प्रक्रिया को रोकने में सहायक (It helps to check Inflationary Process) – उपभोग माँग को कम करने के कारण यह कर मुद्रास्फीति रोकने में मदद करते हैं। साधनों को उत्पादक निवेश की ओर मोड़ने के परिणाम स्वरूप वस्तुओं की पूर्ति में वृद्धि होती है। अतः आर्थिक स्थिरता प्राप्त की जा सकती है।

8. आधुनिक सामाजिक मूल्यों पर आधारित (Based on Modern Social Ethics) – यह कर आधुनिक सामाजिक मूल्यों के आधार पर भी न्यायोचित हैं कि अमीर वर्ग को गरीब वर्ग की तुलना में अधिक अंशदान करना चाहिए। इन करों ने राजस्व उत्पादक, सामाजिक उपयोगिता और न्याय के आधार पर अपनी उपयोगिताओं को सिद्ध किया है।

9. राजस्व में स्वतः वृद्धि (Automatic increase in revenue) – प्रगतिशील करों से लोक आय में स्वतः वृद्धि होती है। इन से देश की कर प्रणाली में उच्छाल आ सकता है।

10. समानता—समानता के सिद्धान्त के अनुसार अमीर लोगों को अधिक भार उठाना चाहिए। अतः उनका योगदान निर्धनों से अधिक होना चाहिए। इसे प्रगतिशील करारोपण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

प्रगतिशील करों के विपक्ष में तर्क (Points against Progressive Taxation System)
आलोचकों ने प्रगतिशील करों के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए हैं—

1. समझना कठिन (Difficult to Understand) – प्रगतिशील करों को समझना कठिन है इसके मूल्यांकन एवं गणना हेतु किसी विशेषज्ञ की मदद लेनी पड़ती है।

2. उपयोगिता को मापना कठिन (Difficult to Measure Utility) – किसी व्यक्ति की सीमान्त उपयोगिता को सरलता से नहीं मापा जा सकता क्योंकि मानसिक और मनोवैज्ञानिक सुतष्टि प्रत्येक व्यक्ति की अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति की आदत एवं स्वभाव अलग-अलग होते हैं अतः सीमान्त उपयोगिता के नियम को सब पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

3. पूंजी निर्माण में बाधक (Retards Capital Formation) – प्रगतिशील करों का अर्थव्यवस्था की बचत और पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रगतिशील करों के आलोचकों ने पाया कि केवल अमीर लोग बचत करते हैं और यदि

उन पर गरीबों की तुलना में अधिक कर लगाया जाएगा तो धीरे-धीरे उनकी बचत क्षमता कम हो जावेगी। इसका पूंजी निर्माण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। विलियम न्यूमार्च (William Newmarch) ने इस सन्दर्भ में कहा है कि प्रगतिशील कर एक प्रकार से विवेक, मितव्ययता तथा सदाचार की सजा है जो उस व्यक्ति को दी जाती है जो स्वयं अच्छा है और दूसरों के लिये अच्छा कर रहा है।

4. मेहनत को सजा (Punishment to Hardwork) – यह कहा गया है कि प्रगतिशील कर प्रणाली मेहनत तथा अन्य गुणों को सजा और फिजूलखर्ची और आलस्य को ईनाम देती है। एक निश्चित सीमा के पश्चात यह कर प्रणाली मेहनती लोगों के साथ न्याय नहीं करती जिन्होंने बहुत प्रयत्न करके सम्पत्ति एकत्रित की है।

5. कर वंचन की संभावना (Scope of Tax Evasion) – प्रगतिशील करों में कर से बचने की संभावनाएं हैं। भारी करों से बचने के लिए आय की झूठी घोषणा की संभावना रहती है। यहाँ अनुपातिक करों की तुलना में कर बचाने की संभावना अधिक होती है और उसकी रोकथाम की कम।

6. भ्रष्टाचार को बढ़ावा (Breeds Corruption) – साधारणतः यह कहा जाता है कि सार्वजनिक जीवन में प्रगतिशील कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। यह बहुत से घटकों पर निर्भर है जैसे प्रशासनिक कुशलता, सामाजिक चेतना और वित्तीय कार्यों के उद्देश्य आदि।

7. सामाजिक कल्याण में बाधा (Hampers Social Welfare) – आलोचकों का मत है कि वास्तव में प्रगतिशील कर सामाजिक कल्याण को कम करते हैं क्योंकि यह विषयपरक हैं। हम यह कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि अमीर आदमी द्वारा किए गए त्याग से अवश्य ही कल्याण में वृद्धि होगी। यह सामाजिक और नैतिक दृष्टि से कहाँ तक उचित है कि समाज के कुछ लोगों पर अधिक से अधिक भार डाला जाए।

8. गलत मान्यताएं (Wrong Assumption) – यह तर्क दिया जाता है कि यह धारणा गलत है कि अमीर व्यक्ति के लिये गरीब व्यक्ति की तुलना में मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता कम होती है। व्यक्ति संतुष्टि एक मानसिक और मनोवैज्ञानिक तत्व है।